कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्याः पीआरओ 204/ 2020 दिनांकः सितम्बर, 26/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 26.09.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा थाना चौबेपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई, मेस, बैरक, थाने के अभिलेखों का रख-रखाव एवं अभिलेखों का अवलोकन कर अद्यावधिक न किये गये रजिस्टरों के संबंध में नाराजगी व्यक्त करते हुए ***थानाध्यक्ष चौबेपुर से स्पष्टीकरण मांगा गया।*** बार-बार दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी थाना चौबेपुर क्षेत्र में प्रकाश में आये भूमि विवादों के संबंध में विवाद लिस्ट/रजिस्टर न बनाये जाने व उक्त कार्य में कोई रुचि न लिये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी।

थाना चौबेपुर क्षेत्र में बगैर नम्बर प्लेट/काली फिल्म/तीन सवारी व नियम विरूद्ध चलने वाले वाहनों पर प्रभावी रूप से कार्यवाही न किये जाने पर भी थानाध्यक्ष चौबेपुर को कड़ी फटकार लगायी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पृष्ठांकित शिकायती प्रार्थना पत्रों की जाँच में शिथिलता बरतने, उक्त शिकायतों का निस्तारण करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब करने, जाँचोपरान्त उक्त शिकायती प्रार्थना पत्रों में मात्र खानापूर्ति करते हुए आख्या प्रेषित किये जाने व थानाध्यक्ष द्वारा विवादों में की गयी 107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही के उपरान्त उन्हे पाबन्द कराये जाने में कोई रुचि न लिए जाने पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षण अधिकारियों से भी पर्यवेक्षण में लापरवाही/शिथिलता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 205/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 26/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 26-09-2020 को प्रभारी निरीक्षक जैतपुरा श्री शशि भूषण राय द्वारा मय हमराह पुलिस बल के अन्तर्राज्जीय गैंग (आईएस -191) के सरगना मुख्तार अंसारी के सहयोगी मेराज अहमद द्वारा अपने शस्त्र लाईसेंस के नवीनीकरण में फर्जी अभिलेख, फर्जी रसीद का प्रयोग कर नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-153/2020 धारा 419/420/467/468/471 भादिव में फरार वांछित अभियुक्त मेराज अहमद पुत्र जलालुद्दीन निवासी अशोक विहार फेज-1-E 435 थाना जैतपुरा वाराणसी, स्थाई पता ग्राम महेन थाना करीमुद्दींपुर जनपद गाजीपुर की मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपाल में समस्त चल संपत्ति कुर्क करने हेतु गवाहों के समक्ष उद्घोषणा की कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि मेराज अहमद उपरोक्त के विरुद्ध विभिन्न थानों पर जघन्य अपराधों के एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है तथा यह थाना जैतपुरा का हिस्ट्रीशीटर (एचएस-25ए) अपराधी भी है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 206/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 26/2020

प्रेस नोट

दिनांक 25.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक रोहनियां श्री परशुराम त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में चौकी प्रभारी राजा तालाब उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में जमुआ तिराहे पर मौजूद थे कि राजातालाब रेलवे स्टेशन की तरफ से रेलवे पटरी पर चलते हुए दो व्यक्ति आते दिखायी दिये जो पुलिस बल को देखकर भागने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा उक्त व्यक्तियों को दौड़ाकर जमुआ रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर पकड़ लिया गया, जिनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 02 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा व गांजा बिक्री के रु0-970/- बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अभियुक्तगण गोलू यादव व छोटू यादव को समय करीब 11.35 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1.गोलू यादव पुत्र स्व0 शिवनारायण यादव निवासी कुड़वा थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष
2. छोटू यादव पुत्र बड़कू यादव निवासी इकरा गौरा थाना सादात जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- नाजायज गांजा 02 किलो 100 ग्राम।
- रु0-970/- नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव चौकी प्रभारी राजातालाब, उ0नि0 ओमप्रकाश राय, उ0नि0 अजय कुमार यादव, का0 रामध्यान व का0 प्रफुल्ल कुमार यादव थाना रोहनियां जनपद वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 207/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 26/2020

प्रेस नोट

थाना शिवपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-330/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में फरार अभियुक्तगण संजय यादव (बर्खास्त सिपाही) व राजकुमार यादव के विरुद्ध थाना कैण्ट पुलिस द्वारा उनके घर पर धारा-82 दण्ड प्रक्रिया संहिता की नोटिस चस्पा की गयी।

आज दिनांक 26-09-2020 को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के रजिस्ट्रार कार्यालय की पत्रावलियों में फेरबदल कर दूसरो की जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराकर बिक्री कर करोड़ो की अकूत सम्पत्ति अर्जित करने के सम्बन्ध में थाना शिवपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-330/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में फरार अभियुक्तगण संजय यादव (बर्खास्त सिपाही) व राजकुमार यादव निवासीगण गिलट बाजार थाना शिवपुर वाराणसी के विरुद्ध उनके घर पर धारा-82 दण्ड प्रक्रिया संहिता की नोटिस चस्पा की गयी।

अन्य अभियुक्त रामवृक्ष सिंह निवासी करण्डा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध भी धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि इन आरोपियों के विरुद्ध थाना शिवपुर में धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में कुल 05 मुकदमें पंजीकृत है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 208/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 26/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 26-09-2020 को थाना भेलूपुर के निरीक्षक अपराध श्री राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 475/2020 धारा 376/323/504/506 भादवि मे नामजद/वांछित अभियुक्त संदीप कुमार सेठ पुत्र मोतीलाल सेठ निवासी सीके-65/43 बडी पियरी थाना चौक वाराणसी को पाण्डेय हवेली के पास से समय करीब 13.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- संदीप कुमार सेठ पुत्र मोतीलाल सेठ निवासी सीके-65/43 बडी पियरी थाना चौक वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक अपराध श्री राजेश कुमार पाण्डेय, हे0का0 मनोहर राम व कां0 आलोक कुमार, थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 209/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 26/2020

प्रेस नोट

दिनांक 25.09.2020 को थाना रामनगर अन्तर्गत किला रोड के पास वादिनी श्रीमती जूली कौशल पत्नी डब्लू कौशल निवासिनी मच्छरहट्टा थाना रामनगर, वाराणसी द्वारा चोरी करते हुए एक अभियुक्ता को चोरी के सामान के साथ पकड़ लिया गया। सूचना पर थाना रामनगर पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर समय करीब 19.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0160/2020 धारा 379/411 भादवि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

विवरण बरामदगी -

(1) एक अदद सोने का लाकेट कीमत करीब 7000 रुपये ।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 210/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 26/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 26.09.2020 को थाना जैतपुरा के उ0नि0 दयाशंकर यादव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में अशोक विहार तिराहे पर मौजूद थे, इसी दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0-153/20 धारा 419/420/467/468/470/471/120बी/216 भादवि में वांछित अभियुक्तगण मेराज अहमद का छोटा भाई सेराज अहमद अशोक विहार स्थित भविष्य निधि कार्यालय के पास पार्क में बैठा है यदि जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता हैं। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 दयाशंकर यादव द्वारा मय हमराह पुलिस बल भविष्य निधि कार्यालय के निकट स्थित पार्क में पहुँचकर पानी की टंकी के पास बैठे अभियुक्त सेराज अहमद को समय करीब 13:40 बजे गिफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- सेराज अहमद पुत्र स्वर्गीय जलालुद्दीन निवासी ई 435 अशोक विहार कॉलोनी फेज -1 थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी स्थाई पता ग्राम महेन, थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर।

***पुलिस टीम का विवरण*–**

1. उ0नि0 दयाशंकर यादव, उ0नि0 मो. अकरम, हे0का0 राकेश राय व का0 ओम प्रकाश थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 211/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 26/2020

प्रेस नोट

आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए एक युवक आदमपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार

आज दिनांक 26/09/2020 को प्रभारी निरीक्षक आदमपुर विजय कुमार चौरसिया मय हमराह गोलगड्डा चौराहे पर देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक लड़का प्रहलादघाट पर बैठकर आईपीएल क्रिकेट पर मोबाइल से सट्टा खेल रहा है। प्राप्त सूचना पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक आदमपुर, चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार यादव मय हमराह पुलिस बल के प्रहलादघाट पहुँचे तो प्रहलादघाट शौचालय के सामने बैठा एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास करने लगा कि मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा शक होने पर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से पूछताछ की गयी तो बताया कि वह यहाँ बैठकर अपने मोबाईल से आईपीएल क्रिकेट का आनलाईन सट्टा खेल रहा था। जिसकी तलाशी ली गयी तो उसके पास से 02 अदद मोबाइल फोन व सट्टे से जीते हुए रु0-17,110/- नगद बरामद हुए। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*** गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-***

1. शिवम कुशवाहा पुत्र विनोद कुशवाहा निवासी A 13/120 घसियारी टोला राजघाट थाना आदमपुर वाराणसी

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 104/2020 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना आदमपुर वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद VIVO एन्ड्राएड मोबाइल
2. एक अदद HONOR एन्ड्राएड मोबाइल
3. कुल 17110 रू नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया, उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव - चौकी प्रभारी आदमपुर, का 4590 कमलेश कुमार, का0 2663 प्रदीप सिंह, का0 4326 राजेन्द्र राव व का0 विजय शंकर गुप्ता थाना आदमपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 212/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 26/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 26-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 62 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *62 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2772 वाहनों का चालान, 39 वाहनों को सीज तथा 329 वाहनों से रु0-2,94,700/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 26-09-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1204 व्यक्तियों से रु0-71,000/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।